निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 104/प्रा0पत्र/22 तारीख दायरा 14.12.2022

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये जिला रसद कार्यालय झालावाड़ प्रार्थी

बनाम

श्री सलीम आत्मज श्री अब्दुल सत्तार
नि0 सूरजपोल नाक झालरापाटन झालावाड़, अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 11 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 06.03.2024

यह प्रा0पत्र प्रर्वतन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावड़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमों में निवेदन किया है कि दिनांकः 25.11.2022 को प्रर्वतन निरीक्षक स्टाफ मौका स्थल पर पहुंचे जंहा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी सलीम आत्मज श्री अब्दुल सत्तार नि0 सूरजपोल नाक झालरापाटन झालावाड उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 11 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डरों का भण्डारण होना पाया गया। जब्त 11 सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के मेसर्स दुर्गादेवी गैस एजेंसी झालरापाटन के मेनेजर श्री मनोज गुप्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी की ओर वकील श्री मोहम्मद नईम खान द्वारा दिनांकः 10.01.2023 को वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर अंकन किया कि अप्रार्थी के यहां से जप्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के ही परिवार के लोगों के थे जिनका घर गली में होने से उनकी डायरी व सिलेण्डर उसकी वेल्डिंग की दुकान में पड़े रहते है तथा अप्रार्थी द्वारा किसी तरह का रिफिलिंग कार्य नहीं किया जाता है। अप्रार्थी की दुकान से किसी तरह का रिफिलिंग उपकरण भी जप्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी ने किसी भी तरह का भण्डारण नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाकर जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वापस दिलवाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी दौराने बहन उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रर्वतन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पंहुचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 11 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने

जिला कलक्टर
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी),4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 11 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया, जबकि घरेलु गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर रखना घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफलिंग/व्यावसायिक कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य मान्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 11 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/03

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़